



Neutral Citation No. - 2026:AHC:170143

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 संख्या- 8265/2026

रवीन्द्र कुमार मिश्रा उर्फ

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

..... विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : ममता सिंह, सिद्धार्थ चौधरी

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1- आवेदक की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री डी.आर. चौधरी, जिनकी सहायता श्री सिद्धार्थ चौधरी एवं सुश्री ममता सिंह, विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई, तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

2- वर्तमान आवेदन आवेदक की ओर से सत्र परीक्षण संख्या 630 वर्ष 2021 में, जो मुकदमा अपराध संख्या 4 वर्ष 2018, धारा 323/34, 504, 506, 304/34 भा.दं.सं., थाना धनघटा, जनपद संत कबीर नगर से उत्पन्न हुआ है, इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उसे अग्रिम जमानत प्रदान की जाए।

3- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। कथित अपराध से उसका कोई संबंध नहीं है, इसके बावजूद पुलिस आवेदक को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। आवेदक को अन्य सह-अभियुक्तों के साथ दिनांक 04.01.2018 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद किया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया है कि आवेदक एवं अन्य सह-अभियुक्तों ने कथित अपराध में भाग लिया। विवेचना अधिकारी ने विवेचना प्रारंभ की और दिनांक 30.06.2018 को उसे पूर्ण किया। विवेचना अधिकारी द्वारा आवेदक को दोषमुक्त कर दिया गया तथा अन्य सह-अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पत्र प्रस्तुत किया गया। विद्वान मजिस्ट्रेट ने अपराध का संज्ञान लिया और तत्पश्चात प्रकरण सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया, जहां सह-अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप निर्धारित किए गए। उन्होंने आरोप से इनकार किया और विचारण किए जाने का दावा किया। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि आरोप निर्धारित किए जाने के पश्चात अभियोजन ने साक्ष्य प्रस्तुत किया तथा विचारण के दौरान पी.डब्ल्यू.-1 नंद प्रकाश (सूचनाकर्ता), पी.डब्ल्यू.-2 वेद प्रकाश (घायल) के बयान दर्ज किए गए और उसके पश्चात अभियोजन द्वारा दं.प्र.सं. की धारा 319 / बी.एन.एस.एस. की धारा 358 के अन्तर्गत आवेदक को आपराधिक विचारण का सामना करने हेतु तलब किए जाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया। दं.प्र.सं. की धारा 319 / बी.एन.एस.एस. की धारा 358 के अन्तर्गत प्रस्तुत उक्त आवेदन को विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 08.08.2025 के आदेश द्वारा स्वीकृत कर लिया। दिनांक 08.08.2025 का समन आदेश अंतिम रूप प्राप्त कर चुका है। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 5156 वर्ष 2025 दाखिल करके उक्त समन आदेश को चुनौती दी गई है, जो अभी न्यायनिर्णयन हेतु लंबित है। आवेदक को पूर्ण विश्वास है कि वह आपराधिक पुनरीक्षण में सफल होगा और इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आक्षेपित आदेश निरस्त कर दिया जाएगा। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि सह-अभियुक्त जितेंद्र नाथ मिश्रा एवं गौरव मिश्रा के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया था। उपर्युक्त सह-अभियुक्तों को इस न्यायालय की समन्वय पीठों द्वारा क्रमशः दिनांक 08.01.2019 एवं 08.02.2022 के आदेशों द्वारा नियमित जमानत पर रिहा किया गया है। जमानत आदेशों की प्रतियां आवेदन के अनुलग्नक संख्या 19 के रूप में संलग्न की गई हैं। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

4- आगे यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदक को विवेचना अधिकारी द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया था और प्रथमदृष्ट्या, समुचित विवेचना के पश्चात कथित अपराध में उसकी संलिप्तता नहीं पाई गई थी। अभियोजन की मनमानी के आधार पर आवेदक को वर्तमान प्रकरण में तलब किया गया है। आवेदक आपराधिक विचारण का सामना करने के लिए तैयार है। इस प्रकरण में विवेचना पहले ही पूर्ण की जा चुकी है और कथित अपराध में आवेदक की कोई संलिप्तता नहीं पाई गई। आवेदक की अभिरक्षात्मक पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और संबंधित न्यायालय द्वारा जब भी अपेक्षित होगा, उपस्थित होगा। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विचारण न्यायालय के साथ सहयोग करेगा तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जाने वाली सभी शर्तों का पालन करेगा।

5- इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया, तथापि, उन्होंने तथ्यों के पहलू से इनकार नहीं किया। आवेदक द्वारा विवेचना अधिकारी को गुमराह किया गया था, इसलिए उसके विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद किया गया था।

6- मैंने दोनों पक्षों की प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

7- आवेदक को प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद किया गया था, किंतु उसके विरुद्ध कोई आरोप-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। कथित अपराध में विवेचना अधिकारी द्वारा आवेदक की संलिप्तता नहीं पाई गई। दं.प्र.सं. की धारा 319 / बी.एन.एस.एस. की धारा 358 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक को आपराधिक विचारण का सामना करने के लिए तलब किया गया है और आवेदक की अभिरक्षात्मक पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, यह न्यायालय इस मत का है कि आवेदक ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का प्रकरण बनाया है।

8- अमन प्रीत सिंह बनाम सी.बी.आई., (2022) 13 एससीसी 764 में माननीय शीर्ष न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि :

"11. उपर्युक्त का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि यह उस मार्गदर्शक सिद्धांत को निर्धारित करता है, जिसका पालन मजिस्ट्रेट द्वारा दं.प्र.सं. की धारा 170 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते समय किया जाना है। संज्ञान लेने अथवा अभियुक्त का विचारण करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट या न्यायालय को आरोप-पत्र तत्काल स्वीकार करना होगा और दं.प्र.सं. की धारा 173 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करनी होगी। यह उचित रूप से टिप्पणी की गई है कि ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट अथवा न्यायालय को अनिवार्य रूप से समन जारी करना चाहिए, न कि गिरफ्तारी का वारंट। यदि वह गिरफ्तारी का वारंट जारी करने के विवेक का प्रयोग करना चाहता है, तो उसे दं.प्र.सं. की धारा 87 के अंतर्गत परिकल्पित कारणों को दर्ज करना आवश्यक है कि अभियुक्त या तो फरार हो गया है अथवा समन का पालन नहीं करेगा या समन की विधिवत तामील का प्रमाण होने के बावजूद उपस्थित होने से

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इनकार कर चुका है। वास्तव में, उच्च न्यायालय द्वारा उप-पैरा (iii) में की गई टिप्पणियां सावधानी के स्वरूप हैं।

12. जहां तक वर्तमान प्रकरण का संबंध है और धारा 170 दं.प्र.सं. के अंतर्गत सामान्य सिद्धांतों का प्रश्न है, उच्च न्यायालय के निर्णय के उप-पैरा (v) में की गई टिप्पणियां उस अभियुक्त के संदर्भ में सर्वाधिक प्रासंगिक हैं, जिस पर गैर-जमानती अपराध का आरोप है और विवेचना की अवधि के दौरान जिसकी अभिरक्षा आवश्यक नहीं थी। ऐसी स्थिति में यह उचित है कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि विवेचना के दौरान उसकी गिरफ्तारी न होना अथवा उसे अभिरक्षा में प्रस्तुत न किया जाना ही उसे जमानत पर रिहा किए जाने के लिए पर्याप्त है। इस तर्क को संक्षेप में इस प्रकार निर्धारित किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति कई वर्षों से स्वतंत्र एवं मुक्त रहा है और विवेचना के दौरान उसे गिरफ्तार भी नहीं किया गया है, तो केवल आरोप-पत्र दाखिल किए जाने के कारण अचानक उसकी गिरफ्तारी का निर्देश देना और उसे कारावास में भेजना जमानत प्रदान करने के नियंत्रक सिद्धांतों के विपरीत होगा। इससे अधिक हम और क्या सहमत हो सकते हैं।"

9- अग्रिम जमानत के संबंध में विधि के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रस्तुतियां, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका तथा प्रकरण के सभी संबद्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना तथा यह देखते हुए कि आवेदक का प्रकरण उपर्युक्त निर्णयों के अंतर्गत पूर्णतः आच्छादित है, अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का प्रकरण बनता है।

10- तदनुसार, अग्रिम जमानत आवेदन निम्नलिखित निर्देशों के साथ स्वीकृत किया जाता है:-

(i)- उपर्युक्त प्रकरण में संलिप्त आवेदक-**रविंद्र कुमार मिश्रा @ पप्पू** की गिरफ्तारी/उपस्थिति की स्थिति में, उसे सक्षम न्यायालय के समक्ष विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते कि वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करे;

(ii)- आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा तथा निष्पक्ष विचारण के प्रयोजनार्थ जब भी अपेक्षित होगा, संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii)- आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए; और

(iv)- आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जाएगा।

11- उपर्युक्त किसी भी शर्त का पालन न करने अथवा उसका दुरुपयोग करने की स्थिति में, लोक अभियोजक/विवेचना अधिकारी/प्रथम सूचनाकर्ता-शिकायतकर्ता को संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदक को प्रदान की गई अग्रिम जमानत निरस्त किए जाने हेतु उचित आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

13 अगस्त, 2026/ए.पी. पांडेय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।